

नवोदय विद्यालया समिति बनाम गुरुदेव सिंह (संगीत) शिक्षक) और अन्य (सूर्यकांत, जे.)

सूर्यकांत और सुदीप अहलूवालिया, जे. जे. के समक्ष

नवोदय विद्यालया याचिकाकर्ता

बनाम

गुरुदेव सिंह (संगीत शिक्षक) और अन्य - प्रतिवादी

2014 का सीडब्ल्यूपी No.4616-CAT

22 फरवरी, 2017

सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना-प्रतिनियुक्ति-अवशोषण-वरिष्ठ स्तर या चयन ग्रेड संबंधित कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत है और न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल के लिए किसी की संतोषजनक सेवा की मान्यता में है कि लाभ दिया जाता है-अवशोषण से पहले प्रतिनियुक्ति पर प्रदान की गई सेवा की गिनती की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक प्रतिनियुक्तिदाता जिसे बाद में अवशोषित किया जाता है, प्रतिनियुक्ति पर उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा को भी न्यूनतम योग्यता वर्षों के लिए गिना जाएगा और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है।

(पैरा 6)

आगे कहा कि वरिष्ठ स्केल या चयन ग्रेड संबंधित कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत है। इसका उनकी वरिष्ठता के अन्य कर्मचारियों पर कोई प्रभाव या प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लाभ न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल के लिए प्रदान की गई संतोषजनक सेवा की मान्यता में दिया जाता है।

(पैरा 7)

डी. आर. शर्मा, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

गौतम कैले, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

सूर्या कान्त, जे. ओरल

(1) याचिकाकर्ता-नवोदय विद्यालय समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ पीठ द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 को याचिकाकर्ता-संगठन द्वारा अपने अवशोषण से पहले प्रतिनियुक्ति पर प्रदान की गई सेवा को गिनने के बाद वरिष्ठ स्केल के अनुदान का हकदार ठहराया गया है।

(2) तथ्य विवादित नहीं हैं। पहला प्रतिवादी 24.7.1989 पर प्रतिनियुक्ति पर एक संगीत शिक्षक के रूप में याचिकाकर्ता-संगठन में शामिल हुआ। उन्होंने तब तक प्रतिनियुक्ति पर कार्य किया जब तक कि उन्हें स्थायी रूप से डब्ल्यू. ई. एफ. 1.9.1992 में समाहित नहीं कर लिया गया। यह निर्विवाद है कि पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, जिसे याचिकाकर्ता-संगठन द्वारा अपनाया गया था, प्रतिवादी संख्या 1 12 साल की सेवा पूरी करने पर चयन ग्रेड देने का हकदार था।

(3) न्यायाधिकरण के समक्ष जो मुद्दा विचार के लिए आया वह यह था कि क्या 12 साल की सेवा को डब्ल्यू. ई. एफ. 1.9.1992 से गिना जाना था, जब प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी रूप से अवशोषित किया गया था या प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को भी गिना जाना था? यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि 22 वर्षों तक संगठन की सेवा करने के बावजूद प्रथम प्रतिवादी को कोई पदोन्नति आदि नहीं मिली।

(4) न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में उपरोक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया है:-

"7. यह निर्विवाद है कि आवेदक ओ. एम. No.35034/1/97 एस्टेट द्वारा शासित है।(1) दिनांकित 9.8.1999 (A-6) और 35024/1/97-एस्ट।(घ) (खण्ड। IV) दिनांक 10.02.2000 (A-7) केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों के लिए आश्वस्त प्रगति योजना के संबंध में डीओपीटी द्वारा जारी किया गया।

8. ओ. एम. दिनांक 1 के क्रम संख्या 4,5 और 6 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को एक ही वेतनमान में किसी भी पद पर नियुक्त किया गया है, या तो प्रत्यक्ष भर्ती के रूप में या अवशोषण (स्थानांतरण) के आधार पर, या पहले प्रतिनियुक्ति के आधार पर और बाद में अवशोषित (हस्तांतरण पर), तो इससे ए. सी. पी. के उद्देश्य के लिए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि वह एक ही वेतनमान में है। यह निर्विवाद है कि आवेदक अवशोषण से ठीक पहले और बाद में एक ही वेतनमान प्राप्त कर रहा था। तदनुसार, वह 24.7.2001---- पर पहले एसीपी के हकदार बन गए थे।

(5) इस रिट याचिका में एकमात्र याचिका यह है कि याचिकाकर्ता-संगठन ने दिनांक 2.7.2001 (अनुलग्नक आर. 2) का एक स्व-सेवारत नीतिगत निर्णय लिया है जिसमें कहा गया है कि वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड के उद्देश्य से अवशोषित कर्मचारियों की सेवा को अवशोषण की तारीख से गिना जाएगा।

(6) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उपरोक्त तर्क से प्रभावित नहीं हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत कर्मचारियों को वरिष्ठ स्केल/चयन ग्रेड या आश्वस्त कैरियर प्रगति लाभ इस आधार पर दिए जाते हैं कि कर्मचारी रुके हुए हैं और उन्हें उचित अवधि के भीतर पदोन्नति नहीं मिलती है। दोनों योजनाएं बिना किसी कार्यात्मक परिवर्तन के उच्च वेतनमान के माध्यम से कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ पात्रता शर्तों को निर्धारित करती हैं। मामले के इस दृष्टिकोण से, न्यायाधिकरण ने भारत सरकार, व्यक्तिगत लोक शिकायत और पेंशन न्यायाधिकरण मंत्रालय द्वारा आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना के तहत निर्धारित मानदंडों का उचित रूप से पालन किया है, इस प्रभाव से कि एक प्रतिनियुक्ति विशेषज्ञ के मामले में जो बाद में अवशोषित हो जाता है, प्रतिनियुक्ति पर उसके द्वारा दी गई सेवा को भी न्यूनतम योग्यता वर्षों के लिए गिना जाएगा।

(7) इसके विपरीत याचिकाकर्ता-संगठन द्वारा लिए गए प्रशासनिक निर्णय में वरिष्ठता के निर्धारण के मामले में कुछ तर्कसंगतता हो सकती है, क्योंकि यह सैकड़ों अन्य कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है यदि प्रतिनियुक्ति पर दी गई सेवा को वरिष्ठता के लिए गिना जाता है। हालाँकि, इस तरह का तर्क पूरी तरह से अलग हो जाता है जब किसी व्यक्ति को लाभ देने का सवाल उठता है। सीनियर स्केल या चयन ग्रेड संबंधित कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत है। इसका उनकी वरिष्ठता के अन्य कर्मचारियों पर कोई प्रभाव या प्रभाव नहीं पड़ता है। यह लाभ न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल के लिए प्रदान की गई संतोषजनक सेवा की मान्यता में दिया जाता है। इस तरह के उद्देश्य के लिए, अवशोषण से पहले प्रतिनियुक्ति पर दी गई सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऊपर बताए गए कारणों से, हम याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

(8) बर्खास्त कर दिया।

पायल मेहता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आशिमा गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
गुरूग्राम, हरियाणा

